**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयः बिलासपुर**

**( माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर )**

**दाण्डिक अपील क्रमांक 909 वर्ष 2009**

**अपीलार्थी** सुधीर यादव

विरूद्ध

**प्रत्यर्थी** छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक 11-05-2012 को सूचीबद्ध करें

**हस्ता./-**

**प्रीतिंकर दिवाकर**

**न्यायमूर्ति**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयः बिलासपुर**

**( माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर )**

**दाण्डिक अपील क्रमांक 909 वर्ष 2009**

**अपीलार्थी** सुधीर यादव

विरूद्ध

**प्रत्यर्थी** छत्तीसगढ़ राज्य

श्री अजय अयाछी, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता

श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन दाण्डिक अपील**

**निर्णय**

( दिनांक 11.05.2012 )

अपीलार्थी ने अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 288/2006 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27.8.2009 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के तहत दोषसिद्ध किया गया है और उसे दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डादिष्ट किया गया है, तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम करने की स्थिति में तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास का दण्डादेश दिया गया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.2.2006 को परिवादी ओमप्रकाश ओझा, निवासी भाटापारा, लिंक एक्सप्रेस के कोच नंबर एस-2 में कोरबा से यात्रा कर रहे थे, तब शाम लगभग 7.30 बजे, जब ट्रेन बिल्हा रेलवे स्टेशन से छूटने वाली थी, अभियुक्तगण उक्त कोच में दाखिल हुए, अभियुक्त मो. नसीम ने परिवादी का ब्रीफकेस छीनने का प्रयास किया और जब उन्होंने उसे सौंपने से मना कर दिया, तो उसने गोली चला दिया और परिवादी का ब्रीफकेस, जिसमें 4,46,930 रुपये नकद थे, लेकर 6-7 अन्य अभियुक्तगण के साथ भाग गया। तत्पश्चात, जब वे उक्त कोच से भागने की कोशिश कर रहे थे, यात्रियों का शोर सुनकर कुछ लोगों ने उनका पीछा किया और दो अभियुक्तगण को पकड़ने में सफल रहे, जिन्होंने पूछताछ पर अपना नाम पिंटू उर्फ लंगड़ा और शिव लखन बताया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उनके साथ 4-5 अन्य व्यक्ति भी थे, जिनके नाम पिंकू, सुधीर यादव, रमेश साव और जितेंद्र पासवान थे। परिवादी (अ.सा.-1) के कहने पर बिल्हा रेलवे स्टेशन पर *देहाती नालिशी* (प्रदर्श पी.-16) अभिलिखित की गई और उसी के आधार पर दिनांक 25.2.2006 को अभियुक्तगण पिंटू उर्फ लंगड़ा, शिव लखन और पांच अन्य के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी.-22) अभिलिखित की गई। अभियोजन का आगे का मामला यह है कि घटना के बाद अभियुक्त मो. नसीम को बिल्हा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से परिवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का ब्रीफकेस, पहचान पत्र, मासिक सीजन टिकट और 4,46,930 रुपये नकद बरामद हुए। विवेचना के पश्चात, दिनांक 22.5.2006 को अभियुक्त पिंटू उर्फ लंगड़ा, मो. नसीम के विरुद्ध *चालान* प्रस्तुत किया गया, जिसमें अन्य अभियुक्तगण—पिंकू उर्फ संतोष, सुधीर यादव, जितेंद्र पासवान और रमेश साव को फरार दिखाया गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 और आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।

दिनांक 02.02.2007 के निर्णय की उद्घोषणा के पश्चात, यहाँ वर्णित अभियुक्त/अपीलार्थी को रेलवे मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और तत्पश्चात उसका भी सत्र प्रकरण क्रमांक 288/2006 में विचारण किया गया तथा निर्णय दिनांक 27.8.2009 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया। वर्तमान अभियुक्त/अपीलार्थी के संबंध में, घटना के तीन वर्ष बाद पहचान परेड आयोजित की गई थी, इसलिए ऐसी पहचान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अभिलिखित कथनों में और न्यायालय में परिवादी एवं अन्य साक्षियों के कथनों में भी अभियुक्त/अपीलार्थी के शारीरिक बनावट का उल्लेख नहीं किया गया था। यहाँ तक कि अभियोजन ने यह जाँच करने का कष्ट भी नहीं किया कि पिंटू, शिव लखन और मो. नसीम द्वारा कथित तौर पर किस सुधीर यादव का नाम लिया गया था। किसी भी साक्षी द्वारा सुधीर यादव के पिता के नाम का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खुलासा नहीं किया गया है, किंतु चूँकि वह बिहार राज्य के कारावास में था, उसे बिलासपुर लाया गया और अभियुक्त के रूप में पक्षकार बनाया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी पर किसी भी प्रकार की कोई भूमिका आरोपित नहीं की गई है और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के तहत अपराध की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, उसे अभियुक्त के रूप में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। अंत में, यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी दिनांक 2.2.2009 से कारावास में है और इस प्रकार कारावास में लगभग तीन वर्ष पूरे कर चुका है, अतः उस पर अधिरोपित दण्ड को उसके द्वारा पहले से भुगती गई अवधि तक कम किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन ने कुल 23 साक्षियों का परीक्षण किया है। अभियुक्त व्यक्तियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत भी अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए मामले में झूठा फँसाए जाने का अभिवाक् किया है।

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात, अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया, किंतु उसे इस निर्णय के कंडिका क्र. 1 में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट किया।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का

अवलोकन किया गया।

6. अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क है कि घटना की तिथि और समय पर बिल्हा रेलवे स्टेशन पर पूर्णतः अंधेरा था, इसलिए अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी केवल संदेह के आधार पर की गई है। उनका कथन है कि अभियुक्त पिंटू उर्फ लंगड़ा, शिव लखन और मो. नसीम भी उक्त ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें अभियुक्त बना दिया गया और उनके द्वारा किए गए प्रकटीकरण के आधार पर अन्य व्यक्तियों को भी अभियुक्त के रूप में सम्मिलित किया गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जहाँ तक अभियुक्त पिंटू उर्फ लंगड़ा और शिव लखन का संबंध है, जब्ती साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त मो. नसीम के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि उसे मनमोहन गिरी (अ.सा.-6) और उपेंद्र (अ.सा.-17) के कथनों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है, जो बिल्हा रेलवे स्टेशन के पास रहते थे और अभियोजन के अनुसार इन दो साक्षियों ने अभियुक्त/अपीलार्थी मो. नसीम को बिल्हा रेलवे स्टेशन के पास देखा था। अंत में, उन्होंने निवेदन किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी दिनांक 2.2.2009 से कारावास में है, इसलिए उस पर अधिरोपित कारावास के दण्डादेश को उसके द्वारा पहले से भुगति गई अवधि तक कम किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि के अनुसार है क्योंकि परिवादी द्वारा प्रदर्श पी.-28 के माध्यम से उसकी पहचान की

गई थी। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी को बेऊर कारावास से लाया गया था, जहाँ वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 के तहत एक अपराध के संबंध में निरुद्ध था। अंत में, उन्होंने निवेदन किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी पर अधिरोपित सजा पूर्णतः पर्याप्त है और उसके द्वारा निभाई गई भूमिका को देखते हुए इसे कम नहीं किया जा सकता।

8. परिवादी ओमप्रकाश ओझा (अ.सा.-16) ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि पिछले 10 वर्षों से वह नारायण इंडस्ट्री में *मुनीम* के रूप में कार्य कर रहा था और धन संग्रह के संबंध में वह कोरबा जाया करता था। दिनांक 24.2.2006 को उसने मैडम सैनी से 2,27,930 रुपये; गुप्ता और संतोष सिंह प्रत्येक से 1,10,000 रुपये एकत्र किए थे, जो कुल मिलाकर 4,47,930 रुपये होते हैं। इसमें से 1000 रुपये उसने अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए रखे थे और शेष 4,46,930 रुपये की राशि एक सूटकेस में रखी थी, जिसमें उसका पहचान पत्र और मासिक सीजन टिकट भी था। शाम लगभग 7.30 बजे, जब ट्रेन बिल्हा रेलवे स्टेशन से छूटने वाली थी, एक व्यक्ति उसके पास आया और उसकी छाती पर पिस्तौल रखकर सूटकेस छीनने का प्रयास किया, लेकिन चूँकि उसने सूटकेस को मजबूती से पकड़ रखा था, उस व्यक्ति ने गोली चला दी और सूटकेस लेकर भाग गया। इस पर, जब उसने "चोर-चोर" का शोर मचाया, तो उक्त ट्रेन के यात्रियों ने चेन खींची और उनमें से कोई ट्रेन से उतरा और सूटकेस के साथ उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया। इस साक्षी ने आगे कथन किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि सूटकेस छीनने वाले के साथ दो अन्य व्यक्ति भी थे और बाद में उसे पता चला कि वे कुल सात लोग थे, जिनमें से चार भाग गए थे। उसके अनुसार, न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण में से मो. नसीम वह व्यक्ति था जिसने उसकी छाती पर पिस्तौल रखकर सूटकेस छीना था और हवा में तीन बार गोलियाँ चलाई थीं। अन्य दो व्यक्ति, पिंटू उर्फ लंगड़ा और शिव लखन, सुसंगत समय पर मो. नसीम के साथ थे, जिन्हें भागने की कोशिश करते समय यात्रियों ने पकड़ लिया था। उसके अनुसार, जब अभियुक्त पकड़े गए, तो उन्होंने अपना नाम पिंटू उर्फ लंगड़ा, शिव लखन और मो. नसीम कथन किया और यह भी कि उनके साथ चार अन्य व्यक्ति भी थे। इस जानकारी के आधार पर, *देहाती नालिशी* (प्रदर्श पी.-16) अभिलिखित की गई, जिस पर उसके उचित हस्ताक्षर थे। अभियुक्त मो. नसीम की पहचान प्रदर्श पी.-12 के माध्यम से की गई। प्रति-परीक्षण में, यद्यपि उसने कथन किया है कि अभियुक्त पिंटू उर्फ लंगड़ा और शिव लखन ने कोई लूट नहीं की है, लेकिन उसे यात्रियों द्वारा सूचित किया गया था कि वे भी मुख्य अभियुक्त के साथ थे। वर्तमान अभियुक्त/अपीलार्थी के संबंध में, परिवादी ने कथन किया है कि वह उसे जानता था क्योंकि जब उसके साथ लूट हुई थी, तब यह अभियुक्त भी अन्य अभियुक्तगण के साथ था और उसने तहसीलदार द्वारा आयोजित पहचान परेड (प्रदर्श पी.-28) में भी उसकी पहचान की थी। प्रति-परीक्षण में, जब इस साक्षी से प्रश्न किया गया कि क्या अभियुक्त/अपीलार्थी ने कोई हाथापाई की थी या नहीं, तो उसने कथन किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि वह अन्य अभियुक्तगण के साथ था लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने पुनः कथन किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी अन्य अभियुक्तगण की सहायता कर रहा था। उसने स्पष्ट किया कि सहायता करने से उसका तात्पर्य "धक्का-मुक्की" से है। प्रति-परीक्षण में यह साक्षी अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए कथनों पर अडिग रहा। तेजेश्वर शुक्ला (अ.सा.-1) और हेम कुमार रत्नेश (अ.सा.-2) पुलिस आरक्षक हैं जो उसी ट्रेन में गश्त ड्यूटी पर थे, लेकिन उस समय वे कोच नंबर एस-1 में थे। उन्होंने कथन किया कि शाम लगभग 7.30 बजे जब ट्रेन बिल्हा रेलवे स्टेशन से छूटने वाली थी, उन्होंने पटाखों जैसी आवाज़ सुनी, वे ट्रेन से बाहर कूदे और देखा कि कोच एस-2 से कुछ व्यक्ति भाग रहे हैं और यात्री "चोर-चोर" चिल्ला रहे हैं। इसके पश्चात, परिवादी वहां आया और उसने सूचित किया कि अभियुक्त पिंटू और शिव लखन के साथ 4-5 अन्य व्यक्ति भी थे, जिनके नाम रमेश साव, सुधीर, जितेंद्र, पिंकू और मो. नसीम थे, और फिर उन्हें रेलवे के उच्च अधिकारियों की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। तुलसीराम (अ.सा.-3) – स्टेशन मास्टर, बिल्हा रेलवे स्टेशन, ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि घटना की तिथि पर वह अपने सहयोगियों के साथ ड्यूटी कर रहा था और शाम 7.30 बजे, जब लिंक एक्सप्रेस उक्त स्टेशन से छूटने वाली थी, किसी ने चेन खींची। उसने पटाखों जैसी आवाज़ सुनी और देखा कि एक जीआरपी कर्मी अपने साथ एक व्यक्ति को ला रहा है और उसी समय परिवादी ने सूचित किया कि गोलीबारी करने के बाद उसका ब्रीफकेस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छीन लिया गया है। तत्पश्चात, दूसरे और तीसरे व्यक्ति को भी पकड़ा गया और पूछने पर उन्होंने अपना नाम शिव कुमार और पिंटू बताया। फिर जीआरपी कर्मी उन व्यक्तियों को अपने साथ ले गए। विजय प्रसाद (अ.सा.-4) और दिलीप कुमार दुबे (अ.सा.-5), जो प्रासंगिक समय पर बिल्हा रेलवे स्टेशन में क्रमशः केबिन मैन और कुली के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने भी तुलसीराम (अ.सा.-3) के समान ही कथन दिए हैं। मनमोहन (अ.सा.-6) ने कथन किया है कि घटना की तिथि पर वह मनेंद्रगढ़ से बिल्हा आया था और शाम को वह अपने आवास पर था, जो रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। उसके अनुसार, उस समय बिजली बंद थी और जब वह घर से बाहर आया, तो उसने देखा कि लिंक एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन पर आ रही थी। जब ट्रेन छूटने वाली थी, चेन खींची गई और उसने "पकड़ो-पकड़ो" की आवाज़ सुनी और जब वह रेलवे स्टेशन पहुँचा, तो उसे पता चला कि डकैती हुई है। अभियुक्त मो. नसीम की पहचान करते हुए, इस साक्षी ने कथन किया कि जब वह रेलवे स्टेशन से लौटा और शौच के लिए जा रहा था, तो उसने रेलवे स्टेशन के पास उस व्यक्ति को खुद को छिपाते हुए देखा। चूंकि उसे संदेह हुआ, उसने उपेंद्र शर्मा (अ.सा.-17) को बुलाया, जिसका घर भी उसके घर के बगल में था, और पूछने पर कि वह कौन है और कहाँ से आया है, अभियुक्त ने उससे सूटकेस रखने को कहा और उसे छोड़ देने का अनुरोध किया। तत्पश्चात, इस अभियुक्त को पुलिस के हवाले कर दिया गया और अगले दिन उसे बिलासपुर लाया गया जहाँ प्रदर्श पी.-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3 के माध्यम से सूटकेस की जब्ती की गई और इसी तरह प्रदर्श पी.-4 और पी.-5 के माध्यम से कारतूस, रेलवे टिकट और ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किए गए। अभियुक्त पिंटू और शिव लखन से जब्ती के संबंध में प्रश्न पूछे जाने पर वह उचित उत्तर नहीं दे सका, इस स्तर पर उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। अभियुक्त सुधीर यादव के संबंध में इस साक्षी ने कुछ भी विशिष्ट कथन नहीं किया है। श्रीमती रूपाली सैनी (अ.सा.-7) ने कथन किया है कि उसने परिवादी (अ.सा.-16) को 2,27,000 रुपये दिए थे। जीवन लाल मारकंडे (अ.सा.-8), जो रेलवे में टीटीई हैं, ने कथन किया कि घटना की तिथि पर उनकी ड्यूटी रायपुर से कोरबा और कोरबा से बिलासपुर तक थी। उनके अनुसार, बिल्हा स्टेशन पर जब चेन खींची गई, तो वे एस-1 कोच से ट्रेन के नीचे उतरे और लोगों को "चोर-चोर" चिल्लाते सुना। उन्होंने कथन किया कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और इस स्तर पर उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। ए.के. सिंह (अ.सा.-9) ने कथन किया है कि उनके निर्देशों पर, उनके लिपिक ने मौका नक्शा प्रदर्श पी.-8 तैयार किया था। शत्रुघ्न सिंह (अ.सा.-10)- कलेक्टर कार्यालय में लिपिक- ने आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत अभियोजन के लिए स्वीकृति प्रदर्श पी.-10 को सिद्ध किया है। श्री जय उरांव (अ.सा.-11) एस.डी.ओ. वह साक्षी हैं जिन्होंने दिनांक 13.3.06 को पहचान परेड आयोजित की थी। उन्होंने प्रदर्श पी.-12 के माध्यम से कथन किया है कि दिनांक 26.02.06 को थाना प्रभारी जी.आर.पी. बिलासपुर द्वारा अभियुक्त मो.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नसीम के संबंध में पहचान परेड आयोजित करने के लिए अपराध क्रमांक 11/06 के संदर्भ में एक ज्ञापन लिखा गया था। दिनांक 13.3.06 को अन्य व्यक्तियों के साथ उचित रूप से मिलाने के पश्चात पहचान परेड आयोजित की गई और उक्त परेड में, परिवादी ओमप्रकाश ओझा ने अभियुक्त मो. नसीम के सिर पर हाथ रखकर उसकी पहचान की। उन्होंने आगे कथन किया कि पहचान परेड पूरी तरह से विधि के अनुसार आयोजित की गई थी जहाँ साक्षियों और अभियुक्त/अपीलार्थी मो. नसीम के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे। प्रति-परीक्षण में, यह साक्षी अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए कथन पर पूरी तरह अडिग प्रतीत होता है। दिनेश कुमार (अ.सा.-12) अस्त्राकार हैं जिन्होंने दस्तावेज़ प्रदर्श पी.-14 और 14-ए को सिद्ध किया है। आर.के. तोंडे (अ.सा.-13) ने जाँच का कुछ हिस्सा पूरा किया है। अनुप राम साहू (अ.सा.-14) मुख्य आरक्षक हैं जिन्होंने *रोजनामचा सान्हा* प्रदर्श पी.-5 अभिलिखित किया था। बी.एस. पिल्लई (अ.सा.-15) लोको पायलट हैं, उन्होंने अपने न्यायिक कथन में कथन किया है कि घटना के दिन बिल्हा में ट्रेन की चेन खींची गई थी। उपेंद्र कुमार शर्मा (अ.सा.-17) उन वस्तुओं की जब्ती के साक्षी हैं जो प्रदर्श पी./3, पी./4 और पी./5 के तहत की गई थीं। आर.पी. चेलक (अ.सा.-18) अन्वेषण अधिकारी हैं जिन्होंने अभियोजन के मामले का विधिवत समर्थन किया है। सुशील सचदेव (अ.सा.-19) परिवादी ओमप्रकाश ओझा के साथ उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उनके बगल में बैठे थे। उन्होंने कथन किया कि बिल्हा में,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त/अपीलार्थीगण और 3-4 व्यक्ति कोच में दाखिल हुए, परिवादी ओमप्रकाश ओझा का ब्रीफकेस छीन लिया, उनके साथ 6-7 अन्य अभियुक्त व्यक्ति भी थे और उन्होंने हवा में गोली चलाई। इसके बाद एक अभियुक्त नकदी से भरा ब्रीफकेस लेकर भाग गया। उन्होंने अन्य यात्रियों के साथ मिलकर चेन खींची और पुलिस की मदद से दो अभियुक्तगण को पकड़ लिया गया तथा एक अभियुक्त को ब्रीफकेस के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आगे कथन किया कि जिन दो व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उन्होंने अपना नाम पिंटू और शिव लखन बताया था। उन्होंने अन्य अभियुक्तगण—जितेंद्र, हेमंत और पिंकू के नाम का भी खुलासा किया। उन्होंने आगे कथन किया कि वे अभियुक्त पिंटू उर्फ लंगड़ा, शिव लखन और मो. नसीम को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं क्योंकि वे घटना के समय वहां मौजूद थे और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जे.एल. मंडावी (अ.सा.-20) का परीक्षण अभियुक्त/अपीलार्थी सुधीर यादव के संबंध में किया गया है, जिन्होंने कथन किया कि घटना की तिथि पर बिल्हा में चेन खींची गई थी और उन्हें ड्राइवर से पता चला कि कोच एस-2 में डकैती हुई है। अश्विनी कुमार दुबे (अ.सा.-21), जो प्रासंगिक समय पर टी.टी.ई. के रूप में कार्यरत थे, का भी परीक्षण किया गया है। एम. याद (अ.सा.-22) का परीक्षण भी अपीलार्थी सुधीर यादव के संबंध में किया गया है, जिन्होंने कथन किया कि न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त होने पर, वे सुधीर यादव को बेऊर कारावास से लाए थे। इसके पश्चात उक्त सुधीर यादव के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संबंध में पहचान परेड आयोजित की गई और उन्होंने पूरक चालान प्रस्तुत किया। एम.आर. गायकवाड़ (अ.सा.-23) ने अपीलार्थी के संबंध में पहचान परेड प्रदर्श पी./28 आयोजित की थी। सुधीर यादव ने कहा है कि पहचान परेड की पुष्टि करते समय, इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि पहचान परेड के समय कोई साक्षी उपस्थित नहीं था।

9. साक्षियों के साक्ष्यों और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्रियों की गहराई से जाँच करने के कठिन कार्य के पश्चात, यह स्पष्ट हो गया है कि घटना की तिथि पर जब परिवादी (अ.सा.-16) कोरबा में विभिन्न व्यक्तियों से नकदी एकत्र करने के बाद ट्रेन में यात्रा कर रहा था और जैसे ही उक्त ट्रेन बिल्हा रेलवे स्टेशन से छूटने वाली थी, अभियुक्तगण में से एक उसके पास आया और उसकी छाती पर पिस्तौल तानकर सूटकेस छीनने का प्रयास किया। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि जब प्रारंभ में उक्त अभियुक्त अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, तो उसने हवा में गोली चलाई और 4,46,930 रुपये नकद, मासिक सीजन टिकट और परिवादी के पहचान पत्र वाला सूटकेस लेकर भाग गया। परिवादी के साक्ष्य से यह भी प्रतीत होता है कि उस समय दो अन्य व्यक्ति भी सूटकेस छीनने वाले के साथ थे। परिवादी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह अभियुक्त मो. नसीम ही था जिसने दो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उसका सूटकेस छीना था, जिन्होंने पूछताछ पर अपना नाम पिंटू उर्फ लंगड़ा और शिव लखन बताया था। अभिलेख दर्शाता है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त मो. नसीम और सुधीर की पहचान परिवादी द्वारा विधि के अनुसार आयोजित पहचान परेड में की गई है। यद्यपि अभियुक्त पिंटू और शिव लखन के संबंध में पहचान परेड आयोजित नहीं की गई है, लेकिन इससे अभियोजन के मामले में कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें यात्रियों द्वारा घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया था और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, परिवादी के साक्ष्य को अन्य साक्षियों द्वारा विधिवत समर्थन दिया गया है। अभियुक्त मो. नसीम से परिवादी का पहचान पत्र, सामान का टिकट और 4,46,930 रुपये नकद युक्त सूटकेस की जब्ती; अभियुक्त पिंटू से कोरबा से बिलासपुर का रेलवे टिकट दिनांकित 24.2.2006 और तीन जीवित कारतूस; तथा अभियुक्त शिव लखन से कोरबा से बिलासपुर का रेलवे टिकट दिनांकित 24.2.2006 एवं कुछ अन्य कागजात की जब्ती को अभियोजन द्वारा विधिवत सिद्ध किया गया है। शिव लखन के मामले को अभियोजन ने विधिवत रूप से सिद्ध कर दिया है। इसके अलावा, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा लिया गया यह बचाव कि वे उक्त ट्रेन में यात्रियों के रूप में यात्रा कर रहे थे, इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे उस संबंध में कोई रेलवे टिकट और अपने साथ ले जाया जा रहा सामान प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। चलती ट्रेन में हवाई फायरिंग करके यात्रियों के बीच आतंक का वातावरण निर्मित करने और नकद एवं अन्य सामान ले जा रहे परिवादी के सूटकेस को लूटने के इस दुस्साहसिक कार्य को इस न्यायालय द्वारा अनदेखा नहीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण में, इस न्यायालय के लिए अभियुक्तगण/अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के तहत दोषसिद्ध करने वाले अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विपरीत निर्णय लेने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

10. तदनुसार, अपील सारहीन होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

**हस्ता./-**

**प्रीतिंकर दिवाकर**

**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

**Translated By** **अधिवक्ता राजकुमार वर्मा**